

आयुक्त कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाणपत्र

सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1900/रा0, दिनांक 06.05.2015 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1817/रा0, दिनांक 30.04.2015 के आलोक में तारमी परियोजना/तारमी खुली खदान परियोजना विस्तारीकरण हेतु बोकारो जिला के लिए चयनित भूमि गैरमजरूआ डीम्ड फोरेस्ट (जंगल, जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है:-

क्र0	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा (हे0 में)	किस्म भूमि
1	चन्द्रपुरा	तारमी	71	52	35	0.21	गैरमजरूआ खास किस्म जंगल
2	चन्द्रपुरा	तारमी	71	52	36P	0.51	
3	चन्द्रपुरा	तारमी	71	52	40P	0.28	
4	चन्द्रपुरा	तारमी	71	52	436P	10.03	
5	चन्द्रपुरा	तारमी	71	52	463P	0.08	
6	चन्द्रपुरा	तारमी	71	52	472P	0.04	
7	चन्द्रपुरा	तारमी	71	52	565P	0.82	
8	चन्द्रपुरा	तारमी	71	52	596P	0.32	
9	चन्द्रपुरा	तारमी	71	99	606P	1.03	
					<b>Total</b>	<b>13.32</b>	
1	नावाडीह	गुंजरडीह	72	95	212	1.52	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी
					<b>Total</b>	<b>1.52</b>	
					<b>Sub Total</b>	<b>14.84</b>	

कुल रकवा 14.84 हे0 (36.67 ए0) में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरू हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण / लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

अधिसूचित,  
बोकारो।

उपायुक्त,  
बोकारो।

आयुक्त  
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल,  
हजारीबाग।